

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी श्री रोहित कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 95/2019

सरकार बनाम 1. सुजाणाराम, लुम्बाराम, अणदाराम वगैरे

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू-राजस्व अधिनियम सपटित नियम  
59,60,66,,86 भू-अभिलेख नियम 1970.

आदेश

दिनांक:-24 .12.2019

पत्रावली आज पेश हुई। तहसीलदार पंचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू- राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम असाडा के मूल खसरा नं 1106 है वर्तमान में इसकें विभाजित खसरा नं. 2044 / 1106, 2045 / 1106, 2046 / 1106, 2047 / 1106, 2048 / 1106 है। जिसकी वर्तमान जमाबंदी अनुसार स्थिति संलग्न परिशिष्ट 'अ' के कालम 1 से 6 अनुसार है। वर्तमान लट्टा ट्रेस में बट्टा नम्बर की तरमीम नहीं की हुई है। मौके पर मूल खसरा 1106 की तरमीम बट्टा अनुसार संभव नहीं है। अतः संलग्न अतः परिशिष्ट 'अ' के कालम 8 से 11 अनुसार खसरे व खाते का एकीकरण करने का आदेश का निवेदन किया ।

विप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किया गया। बावजूद इतला विप्रार्थीगण अनुपस्थित।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 131, 136 के तहत राजस्व रेकॉर्ड में हुई किसी अशुद्धि को शुद्ध करने हेतु आदेश दिया जाता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विभाजित खसरा का एकीकरण कर एक खसरा नम्बर एक खाता दर्ज करने का आदेश देने का निवेदन किया गया जिसके कारण यह सारहीन है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो ।

आदेश खुल न्यायालय मे दिनांक .24.12.2019 को सुनाया गया ।

(रोहित कुमार )

भू-अभिलेख अधिकारी,  
सहायक कलेक्टर  
(एसडीओ) बालोतरा  
(S.D.O.) बालोतरा

